प्रेषक:

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महामायानगर

सेवा में,

प्रबन्धक

अमोल चन्द्र पब्लिक जू०हा० स्कूल

जी०टी०रोड सि०राऊ (महामायानगर)

पत्रांक :/मान्यता/ 1649-52 /2005-06 दिनांक 30-6-05

विषय अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर (कक्षा ६ से ८ तक) की अस्थाई मान्यता।

महोदय,

शासनादेश सं. /६४६/१५.०६.८७/१८ (एस)(७)/८६ दिनांक १३.०८.८७ के द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत जिला मान्यता समिति बैठक दिनांक ..10-6-2005.... में लिये गये निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को कक्षा ६ से ८ तक की अस्थाई मान्यता इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. प्रबन्धाधिकरण को विद्यालय के सुचारू संचालन के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने होंगे।
2. विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा निहीत पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्यक्रम से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
3. बेसिक शिक्षा परिषद् अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबन्धों का एवं परिषद द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा समय-२ पर जारी किये गये निर्देशों को पालन संस्था अधिकारियों को करना होगा।
4. विद्यालय के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान/महंगाई भत्ता दिया जायेगा जो परिषद के समान आर्हता वाले शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होंगे। वेतन का भुगतान चैक द्वारा बैंक के माध्यम उनके खाते में अन्तरण के द्वारा किया जायेगा।
5. विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा।
6. विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।

Manager
Amol Chand Public School
Road, Sikandra Rao (Hathras)

शासनादेश में नियत मानकों के अनुसार एवं मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार विद्यालय में निम्न विवरण के अनुसार शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद सृजित माने जायेंगे। सभी पदों पर अनु. जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति एवं अन्य आरक्षणों को नियमानुसार पूर्ण कराना होगा। प्रधानाध्यापक- एक पद, सहायक अध्यापक-४ पद, लिपिक-१ पद एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-१। उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा /प्रसार/क्राफ्ट/विज्ञान अध्यापक सम्मिलित होंगे। परन्तु त्रिभाषा सूत्र योजनान्तर्गत पदों की स्वीकृति पृथक से लेनी होगी। शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार विभाग का होगा।

नोट : यदि मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई भी तथ्य गलत प्रस्तुत किया गया हो अथवा छिपाया गया हो तो यह मान्यता निरस्त कर दी जायेगी। इस हेतु सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय,

Principal
Amol Chand Public Sr. Sec. School
Sikandra Rao, Hathras(U.P.)

डा. इन्द्रप्रकाश सिंह सोलंकी
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महामायानगर

पृष्ठांकन सं./मान्यता/ /2005-06 दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उ. प्र. बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आगरा।
3. सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, महामायानगर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महामायानगर